



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 बैशाख, 1944 (श०)

संख्या - 194 राँची, गुरुवार,

28 अप्रैल, 2022 (ई०)

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

20 अप्रैल, 2022

अधिसूचना संख्या-06/वन निगम-03/2020-1175—व०प० बिहार वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1984 की धारा “6” के अन्तर्गत उल्लेखित शर्तों एवं अनुबंधों के अधीन वर्ष 2022 के लिए झारखंड वन उपज सलाहकार समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

क्रमांक	नाम/पदनाम एवं पता	समिति का पदनाम
1	माननीय मंत्री, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखंड सरकार।	अध्यक्ष
2	श्री विजय हाँसदा, माननीय सांसद, राजमहल लोकसभा संसदीय क्षेत्र।	उपाध्यक्ष

3	श्री विनोद सिंह, माननीय सदस्य झारखंड विधान सभा बगोदर, विधान सभा क्षेत्र।	सदस्य
4	श्री चमरा लिंडा, माननीय सदस्य झारखंड विधान सभा, विशुनपुर विधान सभा क्षेत्र।	सदस्य
5	श्री निरल पूर्ति, माननीय सदस्य झारखंड विधान सभा, मझगाँव विधान सभा क्षेत्र।	सदस्य
6	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड, राँची	सदस्य
7	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लि०, राँची।	सदस्य सचिव
8	श्री श्रवण जजोदिया, श्री बजरंग साँ मिल, ओल्ड हजारीबाग रोड, राँची, मो०- 9431115501 (विनिर्दिष्ट वन पदार्थ व्यापारी/वन पदार्थ से तैयार होने वाले उत्पादों के निर्माता)	सदस्य
9	श्री गौरव यादव, प्रो० यादव साँ मिल, हजारीबाग मो०नं०-9939367200 (विनिर्दिष्ट वन उत्पादों के प्राथमिक संग्राहक)	सदस्य
10	श्री गोविन्द भोक्ता, वल्द-स्व० फिरंगी गंझु, ग्राम-चरही, पो०-चरही, जिला-हजारीबाग, मो०नं०-8298020517 (मानकी मुण्डा, पाहन प्रमुख छोटानागपुर क्षेत्र)	सदस्य
11	श्री गंगा पहाड़िया (प्रधान), पिता-स्व० सोनिया पहाड़िया, ग्राम-ताड़ोबांध, पोस्ट-चंदना, थाना-सुन्दरपहाड़ी, प्रखंड-सुन्दरपहाड़ी, जिला-गोड्डा, मो०-9955399895 (मानकी मुण्डा, पाहन संधाल परगना क्षेत्र)	सदस्य

2. समिति की बैठक आवश्यकतानुसार अध्यक्ष की अनुमति से समय-समय पर आहूत की जा सकेगी ।
3. सलाहकार समिति झारखंड सरकार को निम्नलिखित कार्यों में परामर्श देगी:-
 - (क) इस अधिनियम की धारा 2(4) के अनुसूची के अन्तर्गत विक्रय के लिए प्रस्तावित प्रत्येक विनिर्दिष्ट वन उपज का उचित एवं युक्ति युक्त कीमत निर्धारित करने में सलाह देगी ।
 - (ख) समिति की अनुशंसा के आधार पर ही सरकार या उसके प्राधिकृत पदाधिकारी प्राथमिक संग्रहणकर्ता से ऐसी उपज खरीदेगा ।
 - (ग) समिति अधिनियम की धारा 2(4) के अनुसूची एवं समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित प्रत्येक वन उपजों के लिए अलग-अलग सलाह देगी ।

- (घ) यदि समिति सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट समय के अंदर सलाह देने में असफल हो तो सरकार समिति के परामर्श के बिना ही दर निर्धारण की कार्रवाई कर सकेगी।
- (ङ) ऐसे अन्य कार्य जिनका संबंध वन उपज से हो और जो सलाहकार समिति को राज्य सरकार द्वारा सौंपा जाय।
- (च) इस अधिनियम के अधीन कार्यान्वयन हेतु अन्य मामले।
- (छ) समिति बैठक एक पक्ष के अंदर कर आवश्यक अनुशंसा सरकार को उपलब्ध करायेगी।
4. समिति के सदस्य सचिव का दायित्व होगा कि कंडिका "3" में वर्णित कार्यों के अधीन विनिर्दिष्ट वन उपज के संग्रहण दर पर अनुशंसा ससमय प्राप्त कर सरकार को उपलब्ध करायेंगे।
5. समिति के गैर सरकारी सदस्यों का यात्रा भत्ता इत्यादि निम्न प्रकार से देय होगा।
- (क) समिति के गैर सरकारी सदस्य का यात्रा भत्ता के संबंध में प्रथम श्रेणी के सदस्य माने जायेंगे।
- (ख) गैर सरकारी सदस्य जो संसद सदस्य हैं उन्हें इस समिति की बैठक में भाग लेने हेतु संसद में वहाँ के सदस्यों को जो यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता अनुमान्य होता है वही भत्ता उन्हें देय होगा।
- (ग) गैर सरकारी सदस्य जो झारखंड विधान सभा के सदस्य हैं उन्हें समिति की बैठक में भाग लेने के लिए झारखंड विधान सभा के सदस्यों को जो यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता अनुमान्य है वहीं उन्हें देय होगा।
6. सलाहकार समिति का कार्यकाल दिनांक 31.12.2022 तक होगा।
7. समिति के गैर सरकारी सदस्यों के अनुमान्य भत्तों का नियमानुसार भुगतान अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लि०, राँची के द्वारा किया जायेगा।
8. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू मानी जायेगी।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

शैलजा सिंह,

सरकार के विशेष सचिव।
